भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1731

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

†1731. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में तमिलनाडु सहित राज्य-वार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अमृत योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त योजना का विस्तार नए शहरों और कस्बों में करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेष रूप से तमिलनाडु में उक्त मिशन की शुरूआत से पुनरूद्धार किए गए शहरों की संख्या;

(ङ) उक्त मिशन के अंतर्गत किन-किन शहरों को शामिल किया गया है; और

(च) क्या उक्त मिशन के अंतर्गत कस्बों और छोटे शहरों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के लिए निधियों के पृथक आबंटन का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 शहरों के विलय सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया था। अमृत के तहत, पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में 18,624.28 करोड़ रु. की लागत वाली 1,110 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 16,611.77 करोड़ रु. के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार परियोजनाओं का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

तमिलनाडु में, अमृत के अंतर्गत 28 शहरों (5 शहरों के विलय सहित) को शामिल किया गया है। अमृत के अंतर्गत, केंद्रीय निधियों का आवंटन मिशन की शुरुआत में किया जाता है, ना कि वर्ष-वार। अमृत के अंतर्गत, राज्य के लिए 11,194.78 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ (एसएएपी) अनुमोदित की गई हैं, जिसमें 4,756.58 करोड़ रु. का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 13,339.43 करोड़ रु. की 445 परियोजनाएँ शुरू हो चुकी हैं, जिनमें से 12,504.52 करोड़ रु. के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। अब तक तमिलनाडु में अमृत मिशन और कन्वर्जेन्स के अंतर्गत, 16.07 लाख जल नल कनेक्शन और 25.20 लाख सीवर कनेक्शन [फिकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन के माध्यम से शामिल किए गए आवासों सहित (एफएसएसएम)] प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, अब तक अमृत के अंतर्गत 729 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल शोधन संयंत्र क्षमता और 289 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र क्षमता विकसित की गई है।

अमृत के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य को जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रूपये में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
जारी निधि	377.56	302.64	1,455.35	3.46	831.03

(ग) से (च): शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के लिए देश के 500 शहरों से सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) तक जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 शुरू किया गया है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। जलाशयों का पुनरुद्धार और हरित स्थलों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रु. है, जिसमें 76,760 करोड़ रु. का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के व्यापक ढांचे के अनुरूप परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,89,489 करोड़ रुपये की लागत वाली 8,998 परियोजनाओं के लिए राज्य जल कार्य योजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

तमिलनाडु में, अब तक 606 शहरी स्थानीय निकायों/शहरों के लिए 4,942 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 14,688 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं।

****

"अमृत के अंतर्गत परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 1731 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान अमृत के अंतर्गत राज्यवार परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सं.	परियोजना लागत (करोड़ रूपये में)	वास्तविक प्रगति (करोड़ रूपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	8	3.03	2.70
2	आंध्र प्रदेश	1	84.66	46.56
3	अरुणाचल प्रदेश	4	53.20	41.78
4	असम	10	618.14	573.99
5	बिहार	13	386.96	290.16
6	छत्तीसगढ	60	55.48	55.26
7	दिल्ली	8	190.53	146.51
8	गोवा	4	205.18	174.56
9	गुजरात	112	996.05	988.96
10	हरियाणा	3	43.54	40.26
11	हिमाचल प्रदेश	15	53.27	53.04
12	जम्मू और कश्मीर	19	84.92	83.64
13	झारखंड	1	0.50	0.50
14	कर्नाटक	38	315.20	283.12
15	केरल	218	834.98	605.88
16	मध्य प्रदेश	35	736.21	384.24
17	महाराष्ट्र	19	933.56	781.44
18	मणिपुर	2	3.22	2.30
19	मेघालय	11	76.77	76.59
20	नागालैंड	18	81.24	75.64
21	पुदुचेरी	8	41.68	40.08
22	पंजाब	124	2156.58	1824.66
23	राजस्थान	19	395.18	380.52
24	सिक्किम	24	9.46	9.46
25	तमिलनाडु	7	4327.39	4131.32
26	तेलंगाना	5	5.56	5.56
27	त्रिपुरा	2	137.59	137.59
28	उत्तर प्रदेश।	237	5012.97	4640.79
29	उत्तराखंड	60	211.54	203.92
30	पश्चिम बंगाल	25	569.69	530.73
कुल		1110	18624.28	16611.77